षोडश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 06 अग्रहायण, 1940 (श0)
27 नवम्बर, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1) शिक्षा विभाग	01
(2) समाज कल्याण विभाग	02
(3) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	01
कुल योग —	04

दोषियों पर कार्रवाई

1. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''सूबे के 96 हजार नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 3.50 लाख शिक्षकों की डिग्री की जाँच के क्रम में 96 हजार नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षकों की डिग्री की जाँच के क्रम में अबतक मात्र 784 फर्जी शिक्षक पाये गये हैं, जिसमें से 36 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जबकि निगरानी जाँच में सहयोग नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर सरकार द्वारा FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 96 हजार नियोजित शिक्षकों के गायब डिग्री संबंधी फोल्डर एवं निगरानी जाँच में सहयोग नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर, FIR दर्ज नहीं करने वाले दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधार गृहों का निर्माण

2. श्रीमति एज्या यादव--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी बालक एवं बालिका सुधार गृह निजी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किराये के भवन या निजी भवन में संचालित होने के कारण बालक-बालिकाओं का शोषण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सुधार गृह भवन को निजी भवन एवं निजी गैर-सरकारी संस्थाओं से मुक्त कर सभी जिला मुख्यालयों में नये भवन निर्माण की घोषणा की गयी है, परन्तु अभीतक किसी भी जिला में भूमि अधिग्रहण कार्य तथा प्रत्येक सुधार गृहों में आवश्यकतानुसार पदों के सृजन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में नये सुधार गृह भवनों का निर्माण एवं आवश्यकतानुसार पदों के सृजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तस्करी पर रोक

3. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित शीर्षक ''सीतामढ़ी व मधुबनी बार्डर से नेपाली शराब की सबसे ज्यादा आ रही खेप, एस0एस0बी0 भी सक्रिय'' के आलोक में क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पिछले ढ़ाई वर्षों से राज्य में देशी एवं विदेशी शराब के सेवन, उत्पादन एवं रखने पर रोक है, के बावजूद सीतामढ़ी एवं मधुबनी बार्डर से नेपाली शराब विभिन्न बार्डर इलाकों यथा प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सुपौल एवं अररिया के रास्ते राज्य में पहुँच रही है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सीमावर्ती जिले में हो रहे नेपाली शराब की तस्करी को रोकने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

4. श्री भाई वीरेन्द्र--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 नवम्बर, 2018 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बुजुर्ग सड़कों पर जीने को मजबूर, वृद्धाश्रम में जगह खाली'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य में सात वृद्धाश्रम ''सहारा'' संचालित है, जिसमें प्रत्येक में 50-50 (कुल 350) लाचार एवं निराश्रित वृद्धजनों को रखने की क्षमता के विपरीत वर्तमान में मात्र 114 बुजुर्ग ही सातों वृद्धाश्रम ''सहारा'' में हैं, जबकि प्रशासनिक लापरवाही व व्यवस्थागत कमियों के कारण आज भी लाचार व निराश्रित वृद्धजन सड़कों और फुटपथों पर जीने को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 27 नवम्बर, 2018 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 100-डी0टी0पी0-550